भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5178
दिनांक 24 मार्च, 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

एकसमान जांच प्रक्रिया

†5178. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के भारत में अपराध, 2023 में यह कहा गया है कि अपहरण और अगवा करने के मामले में उत्तर प्रदेश में 46.1 प्रतिशत के साथ आरोप पत्र का उच्च प्रतिशत, महाराष्ट्र में 21 प्रतिशत, हरियाणा में 14.7 प्रतिशत और छत्तीशगढ़ में 24.2 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में उल्लेखनीय रूप से 73.8 प्रतिशत की उच्च प्रतिशत के मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों मे एकसमान जांच और अभियोजन संबंधी मानकों को सुनिश्चित करने में विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल जैसे उच्च निष्पादक राज्यों के सर्वोत्तम व्यवहार नयाचारों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मानकीकृत और वित्तपोषित किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उसे दी गई अपराधों की जानकारी संकलित करता है और इसे अपनी वार्षिक "भारत में अपराध" रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। "भारत में अपराध 2023" रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए अपराधों का विवरण है, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लागू थे। "भारत में अपराध 2023" रिपोर्ट

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5178 दिनांक 24.03.2026

में अपहरण और अगवा (किडनैपिंग एंड एबडक्शन) के मामलों के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार दर्ज मामलों, आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों, पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलों तथा आरोपपत्र दाखिल करने की दर (चार्जशीटिंग रेट) की जानकारी भी दी गई है। संबंधित विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने, अपराधों और अपराधियों की जांच और अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है और वे कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

संसद ने न्याय संहिताएँ, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 2023, समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने और आम आदमी को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से अधिनियमित की हैं। नव अधिनियमित कानूनों में अपराधों और दंडों से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, गंभीर अपराधों को प्राथमिकता दी गई है, आतंकवाद और संगठित अपराध के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं और कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बना दिया गया है। ये कानून 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गए हैं। नए कानून अपराधों की जांच में प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग का प्रावधान करते हैं तथा सूचना देने और दर्ज कराने, समन की तामील आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम का उपयोग भी सुनिश्चित करते हैं। समयबद्ध जांच, मुकदमे और निर्णय सुनाने के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है। पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने और उन्हें जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए, डिजिटल माध्यमों सहित, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिन मामलों में सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, उनमें सरकार द्वारा मामला वापस लेने से पहले पीड़ितों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए संक्षिप्त सुनवाई अनिवार्य कर दी गई है। आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूछताछ की जा सकती है। मजिस्ट्रेट प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, जांच और अभियोजन को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना और समयबद्ध न्याय वितरण सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करता है और उन्हें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करता है, ताकि वे अपने स्तर पर उन्हें अपनाकर लागू कर सकें।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0, फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण, तथा राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से संचालित योजनाएं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5178 दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक-1

वर्ष 2023 के दौरान अपहरण और अगवा करने के मामलों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), पुलिस द्वारा निपटाए गए मामले (सीडीओपी) और आरोपपत्र दाखिल करने की दर (सीएसआर)

क्र	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023			
		सीआर	सीसीएस	सीडीओपी	सीएसआर
1	आंध्र प्रदेश	746	507	728	69.6
2	अरुणाचल प्रदेश	64	27	76	35.5
3	असम	3563	2900	6178	46.9
4	बिहार	14371	9110	14663	62.1
5	छत्तीसगढ	2991	686	2837	24.2
6	गोवा	77	12	75	16.0
7	गुजरात	1792	674	1815	37.1
8	हरियाणा	4149	583	3977	14.7
9	हिमाचल प्रदेश	439	58	417	13.9
10	झारखंड	1664	1278	1878	68.1
11	कर्नाटक	3744	261	3767	6.9
12	केरल	306	331	354	93.5
13	मध्य प्रदेश	11768	2921	11126	26.3
14	महाराष्ट्र	13106	2732	12994	21.0
15	मणिपुर	89	12	38	31.6
16	मेघालय	94	21	117	17.9
17	मिजोरम	5	1	8	12.5
18	नागालैंड	37	14	33	42.4
19	ओडिशा	6125	936	5653	16.6
20	पंजाब	1574	938	1824	51.4
21	राजस्थान	9882	2932	9252	31.7
22	सिक्किम	36	1	41	2.4
23	तमिलनाडु	496	231	582	39.7
24	तेलंगाना	3174	1004	2979	33.7
25	त्रिपुरा	132	88	132	66.7
26	उत्तर प्रदेश	16663	7883	17110	46.1
27	उत्तराखंड	1264	158	1219	13.0
28	पश्चिम बंगाल	8233	5560	7534	73.8
	कुल राज्य	**106584**	**41859**	**107407**	**39.0**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	5	18	27.8
30	चंडीगढ़	161	11	161	6.8
31	डी एंड एन हवेली और दमन और दीव	49	5	56	8.9
32	दिल्ली	5715	421	6390	6.6
33	जम्मू और कश्मीर	1004	330	1078	30.6
34	लद्दाख	5	2	7	28.6
35	लक्षद्वीप	0	0	0	-
36	पुदुचेरी	24	2	15	13.3
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	**6980**	**776**	**7725**	**10.0**
	कुल (अखिल भारतीय)	**113564**	**42635**	**115132**	**37.0**
